न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 16 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 31

1. सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. राजपाल सिंह उर्फ राजूसिंह पुत्र प्रभु सिंह जाति राजपूत निवासी 1 एलएसएम बाण्डा कॉलोनी (शेखावत ई–मित्रा, बाण्डा कॉलोनी) तहसील व जिला अनूपगढ़
2. पवन कुमार मदान पुत्र अशोक कुमार मदान जाति अरोड़ा निवासी 1 एलएसएम बाण्डा कॉलोनी (अशोका प्रोविजन एवं जनरल स्टोर, बाण्डा कॉलोनी) तहसील व जिला अनूपगढ़
3. सतनाम सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 बीडब्ल्यूएम बरूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. थानाधिकारी पुलिस थाना अनूपगढ़ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रामेश्वरलाल आरपीएस, पुलिस उप अधीक्षक अनूपगढ़ एवं ईश्वर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी अनूपगढ़ अवैध गैंस रिफलिंग की सूचना पर शेखावत ईमित्रा एवं अशोका प्राविजन स्टोर बाण्डा कॉलोनी पंहुचे तो पाया कि शेखावत ई–मित्रा के आगे एक वाहन कार अल्टो नम्बर आरजे 02 सीए 3608 रंग सुनहरी खड़ी है जिसके पीछे डिग्गी में लगे हुए गैंस किट से एक पाईप के जरिये मोटर जुड़ी है। मोटर के दूसरी पाईप पर एक घरेलू सिलेण्डर जोड़ रखा हैं। मोटर चालू हालत में है। दुकान पर उपस्थित लड़के ने अपना नाम राजू सिंह बताया जो दुकान मालिक होना बताया। गैंस रिफलिंग एवं गैंस सिलेण्डर अपने कब्जे में रखने के संबंध में वैध लाईसेंस के बारे में पूछा तो लाईसेंस नहीं होना बताया। बिना अधिकार पत्र के काफी संख्या में घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर अपने कब्जा में रखकर उक्त एलपीजी ज्वलनशील होना जानते हुए उपेक्षा से गैंस सिलेण्डरों से कारों वाहनों व छोटे गैंस सिलेण्डरों में गैंस रिफलिंग कर मानव जीवन को संकट में डालते हुए उपहति या क्षति कारित करने की पूर्ण संभावना है। दुकान की तालाशी में कुल 19 गैंस सिलेण्डर मय गैंस तथा रिफलिंग करने में प्रयुक्त सामान 1 पाना चाबी 19–22 नम्बर, 3 पैचकस, 3 नोजल, 1 बांसुरी / निपल, छोटे गैंस सिलेण्डर में गैंस भरने में काम आने वाली, 1 निपल, 1 एलटी तथा 1 इलैक्ट्रिक मोटर मय 2 पाईप, व इलैक्ट्रिक वायर को जब्त कर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। वाह जिसमें गैंस रिफलिंग की जा रही थी, आरजे 02 सीए 3608 को बतौर वजह सबूत कब्जा में लिया गया। उक्त कृत्य तरलीकृत पैट्रोलियम गैंस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4,6 का उल्लंघन है जो धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी राजपाल सिंह उर्फ राजूसिंह को गिरफ्तार किया गया।

2. इसी प्रकार दुकान अशोका प्रविजन एवं जनल स्टोर के काउंटर के आगे रखे 5 घरेलू सिलेण्डर व दुकान में रखे गैर सिलेण्डर के संबंध में काउंटर पर बैठे शख्स से पुछताछ की गयी तो अपना नाम पवन कुमार बताया और दुकान का मालिक होना बताया। पूछने पर बताया कि घरेलू गैंस सिलेण्डरों से कार आदि तथा छोटे दो किलो, पांच किलो गैंस सिलेण्डर में गैंस भरता हैं। गैंस रिफलिंग एवं गैंस सिलेण्डर अपने कब्जे में रखने के संबंध में वैध लाईसेंस के बारे में

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

पूछा तो लाईसेंस नहीं होना बताया। बिना अधिकार पत्र के काफी संख्या में घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर अपने कब्जा में रखकर उक्त एलपीजी ज्वलनशील होना जानते हुए उपेक्षा से गैंस सिलेण्डरों से कारों वाहनों व छोटे गैंस सिलेण्डरों में गैंस रिफलिंग कर मानव जीवन को संकट में डालते हुए उपहति या क्षति कारित करने की पूर्ण संभावना है। दुकान की तालाशी में कुल 16 गैंस सिलेण्डर मय गैंस तथा रिफलिंग करने में प्रयुक्त सामान तीन पाना/चाबी 21–23,20–22,18–19 नम्बर, 1 रिचपाना, 1 प्लास, 2 सिलेण्डर नोजल, 1 पावर प्लग स्विच बोर्ड मय तार, 1 इलैक्ट्रिक मोटर, रंग नीला मय इलैक्ट्रिक वायर जिस पर सीके टेस्टेड तथा 2 बैटरी चलित मोटर जिस पर निओ एग्रीकल्चर स्प्रे पम्प लिखा है, को वजह सबूत कब्जा में लिया गया। उक्त कृत्य तरलीकृत पैट्रोलियम गैंस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4,6 का उल्लंघन है जो धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

3. अरोपियों पर मुकदमा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 285 भा.द.सं. की धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। आरोपियों राजपाल सिंह व पवन कुमार पर आरोप बखूबी प्रमाणित हैं। वाहन आरजे 02 सीए 3608 मालिक सतनाम सिंह द्वारा बिना किसी परिमिशन के अवैध रूप से वाहन में गैंस किट लगता रखी है जो आरसी के नियमों का उल्लंघन है, वाहन मालिक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया गया हैं। धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही सम्पन्न कर राजसात किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।
4. प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ।
5. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गैंस भरने का कार्य नहीं करता है जो गैंस भरने का सामान बरामद किया गया है वह प्रार्थी का नहीं है ना ही प्रार्थी का कोई सरोकार है व ना ही प्रार्थी कोई ऐसा कार्य करता पाया गया है। प्रार्थी से जब्त सिलेण्डर जो कि प्रार्थी की दुकान से 19 सिलेण्डर जब्त हुए है वो सभी सिलेण्डर लीगल रूप से प्रार्थी के पास सही है क्योंकि प्रार्थी को भारत गैंस ऐजेन्सी रामसिंहपुर द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर डिलीवरी असिस्टेंट नियुक्त किया गया है तथा गैंस ऐजेन्सी द्वारा डिलीवरी कार्य के लिए 7 सिलेण्डर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। प्रार्थी के पास उक्त गैंस ऐजेन्सी का अनुबन्ध पत्र भी है। जिसके आधार पर प्रार्थी 7 सिलेण्डर अपने पास भरे हुए रख सकता है तथा आसपास के गैंस ऐजेन्सी के क्षेत्राधिकार के उपभोक्ताओं के खाली सिलेण्डरों को भरे हुए सिलेण्डरों द्वारा डिलीवर करने का कार्य करने हेतु कम्पनी द्वारा नियुक्त किया हुआ है। जबकि प्रार्थी के पास उक्त सिलेण्डर जब्त किये गये है उनकी संख्या 19 है। क्योंकि प्रार्थी के पास गैंस एजेन्सी का डिलीवरी पॉईन्ट है तथा प्रार्थी उक्त गैंस सिलेण्डर पहले कॉपी पर ऑनलाईन बुकिंग करता है और बाद में भरे हुए सिलेण्डर कस्टमर को दे देता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के सिलेण्डर प्रार्थी के डिलीवरी पोईन्ट पर खाली व भरे हुए पड़े रहते हैं क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव है। बरामद सभी सिलेण्डर भारत गैंस ऐजेन्सी रामसिंहपुर के उपभोक्ताओं के है। जिन उपभोक्ताओं की उपभोक्ता पासबुक व सिलेण्डर प्रार्थी ने प्रकरण में पुलिस को देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी और ना ही उपभोक्ताओं की पासबुक और ना ही कोई ब्यान दर्ज किये। प्रार्थी के पास बाकी सिलेण्डर कस्टमर द्वारा भरवाने के लिए रखे गये थे। इस आधार पर तरलीकृत पैट्रोलियम गैंस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4,6 का उल्लंघन नहीं है। प्रार्थी उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रार्थी को डिलीवरी असिस्टेंट नियुक्त किया हुआ है। जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी के

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ

पास है तथा प्रार्थी को भारत गैंस एजेंसी द्वारा किया सिलेण्डर डिलीवरी असिस्टेंट का एग्रीमेन्ट भी प्रार्थी के पास है एवं जो सिलेण्डर प्रार्थी से बरामद किये गये है। उन सभी के भी एग्रीमेन्ट व कस्टमर आईडी प्रार्थी के पास है जो प्रार्थी दिखाने के लिए तैयार है। प्रार्थी के कब्जा से बरामद 19 सिलेण्डर राजसात न करते प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

6. अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गैंस भरने का कार्य नहीं करता है जो गैंस भरने का सामान बरामद किया गया है वह प्रार्थी का नहीं है ना ही प्रार्थी का कोई सरोकार है व ना ही प्रार्थी कोई ऐसा कार्य करता पाया गया है। प्रार्थी से जब्त सिलेण्डर जो कि प्रार्थी की दुकान से 16 सिलेण्डर जब्त हुए है वो सभी सिलेण्डर लीगल रूप से प्रार्थी के पास सही है क्योंकि प्रार्थी को भारत गैंस ऐजेन्सी सलेमपुरा द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर डिलीवरी असिस्टेंट नियुक्त किया गया है। प्रार्थी के पास उक्त गैंस ऐजेन्सी का अनुबन्ध पत्र भी है। जिसके आधार पर प्रार्थी सिलेण्डर अपने पास भरे हुए रख सकता है तथा आसपास के गैंस ऐजेन्सी के क्षेत्राधिकार के उपभोक्ताओं के खाली सिलेण्डरों को भरे हुए सिलेण्डरों द्वारा डिलीवर करने का कार्य करने हेतु कम्पनी द्वारा नियुक्त किया हुआ है। जबकि प्रार्थी के पास उक्त सिलेण्डर जब्त किये गये है उनकी संख्या 16 है। क्योंकि प्रार्थी के पास गैंस एजेन्सी का डिलीवरी पॉईन्ट है तथा प्रार्थी उक्त गैंस सिलेण्डर पहले कॉपी पर ऑनलाईन बुकिंग करता है और बाद में भरे हुए सिलेण्डर कस्टमर को दे देता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के सिलेण्डर प्रार्थी के डिलीवरी पोईन्ट पर खाली व भरे हुए पड़े रहते हैं क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव है। बरामद सभी सिलेण्डर भारत गैंस ऐजेन्सी सलेमपुरा के उपभोक्ताओं के है। जिन उपभोक्ताओं की उपभोक्ता पासबुक व सिलेण्डर प्रार्थी ने प्रकरण में पुलिस को देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी और ना ही उपभोक्ताओं की पासबुक और ना ही कोई ब्यान दर्ज किये। प्रार्थी के पास बाकी सिलेण्डर कस्टमर द्वारा भरवाने के लिए रखे गये थे, जिन सभी का प्रार्थी के पास रिकार्ड भी है। इस आधार पर तरलीकृत पैट्रोलियम गैंस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4,6 का उल्लंघन नहीं है। प्रार्थी उक्त सिलेण्डरों के संबंध में प्रार्थी को डिलीवरी असिस्टेंट नियुक्त किया हुआ है। जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी के पास है तथा प्रार्थी को भारत गैंस एजेंसी द्वारा किया सिलेण्डर डिलीवरी असिस्टेंट का एग्रीमेन्ट भी प्रार्थी के पास है एवं जो सिलेण्डर प्रार्थी से बरामद किये गये है। उन सभी के भी एग्रीमेन्ट व कस्टमर आईडी प्रार्थी के पास है जो प्रार्थी दिखाने के लिए तैयार है। प्रार्थी के कब्जा से बरामद 16 सिलेण्डर राजसात न करते प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

7. अप्रार्थी सं. 3 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी किसी प्रकार से गैंस भरने व रिफलिंग का कार्य नहीं करता और ना ही प्रार्थी से किसी प्रकार से गैंस सिलेण्डर व कथित उपकरण ही बरामद हुए है बल्कि कथित दुकान का मालिक राजूसिंह बताया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध लगाए गए आक्षेप निराधार है। सच्चाई यह है कि अप्रार्थी उक्त दुकान के बाहर सडक पर अपनी कार अल्टो लेकर खडा था जिसमें किसी प्रकार से गैस किट व मोटर नहीं जुडी हुई और ना ही प्रार्थी से कोई गैंस सिलेण्डर बरामद हुआ है कथित बरामदगी की समस्त कार्यवाही गलत एवं निराधार है। पुलिस द्वारा गलत आधार पर अप्रार्थी की कार को जब्त किया गया है। जब्तशुदा कार को रिलीज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

8. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से साक्ष्य हेतु तत्कालीन थानाधिकारी अनूपगढ़ ईश्वर प्रसाद को जरिए सम्मन तलब किया गया जो उन पर विधिवत रूप से तालीम हुआ परन्तु वे न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आए। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 व 2 जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त हाजिर नहीं आए। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 3 की कार महज अरोपी अप्रार्थी सं. 1 की दुकान के पास खड़ी थी, जिसमें किसी प्रकार का रिफलिंग

जिला कलक्टर अनूपगढ़

का कार्य नहीं किया जा रहा था, अप्रार्थी सं. 3 किसी प्रकार से गैस रिफरिंग का कार्य नहीं करता है ना ही उससे किसी प्रकार से गैंस सिलेण्डर जब्त हुए है। अप्रार्थी के वाहन की जब्ती अवैध है वाहन कार को रिलीज करने हेतु निवेदन किया।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रामेश्वर लाल, पुलिस उप अधीक्षक अनूपगढ़ के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 राजपाल सिंह की दुकान शेखावत ई–मित्रा से कुल 19 गैंस सिलेण्डर मय गैंस तथा गैंस रिफलिंग का सामान जब्त किया है, इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 2 पवन कुमार की दुकान से कुल 16 गैंस सिलेण्डर मय गैंस तथा गैंस रिफलिंग का सामान जब्त किया है। अप्रार्थी सं. 1 की दुकान पर अप्रार्थी सं. 3 की कार में गैंस सिलेण्डर से गैंस भरी जा रही थी जिस कारण अप्रार्थी सं. 3 की गाड़ी को भी जब्त किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा अपने वाहन में बिना परमिशन के अवैध रूप से गैंस किट लगवा रखी है जो आरसी के नियमो का उल्लंघन है मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि अप्रार्थी सं. 1–2 के पास गैंस रिफलिंग का कोई वैद्य अधिकार पत्र/लाईसेंस नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अपने कब्जा में ज्वलनशील घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर भरे एवं खाली रखे हुए थे जो कि तरलीकृत पैट्रोलियम गैंस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4,6 का उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 711 दिनांक 24.10.2023 प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 तथा भा.द.सं. 1860 की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

10. अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि उनकी कार में गैंस किट नहीं लगी हुई जबकि पुलिस उप अधीक्षक एवं थानाधिकारी अनूपगढ़ द्वारा जब्ती के समय मौका पर अप्रार्थी सं. 3 की कार में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा गैंस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाये जाने पर व पाईप मोटर जुड़ी होने व चालू होने की स्थिति में पाये जाने पर वाहन जब्त किया गया है। अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा उनके वाहन में गैंस किट के परमिट के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. धारा 14 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "**कतिपय मामलों में सबूत का भार** – जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है जो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञा–पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज का कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी पर होगा।"

12. अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज गैंस एजेन्सीयों के साथ किये गये एमओयू तथा शपथ पत्र, पास बुक, आधार कार्ड गैंस एजेन्सी उपभोक्ताओं के पेश किये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। एमओयू के तहत अप्रार्थी 100किग्रा अर्थात घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर कुल नग 7(प्रत्येक 14.2 किग्रा) एलपीजी गैंस एक समय पर अपने पास रख सकते थे। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक से निर्धारित मात्रा से अधिक गैंस सिलेण्डर मय एलपीजी गैंस पाये गये हैं इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 1 व 2 से कार एवं दूसरे व छोटे गैंस सिलण्डरों में रिफलिंग करने का सामान भी मौके पर से जब्त किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञा पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उन्हें खाली व भरे हुए एलपीजी गैंस सिलेण्ड मय गैंस अपने कब्जा में रखने और उनसे अन्य गैंस सिलेण्डर में गैंस स्थानान्तरित करने या वाहन में गैंस भरने के लिए अधिकार देता हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

13. अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि वे उनके द्वारा किसी प्रकार का अविधिपूर्ण कृत्य नहीं किया गया है और उनके पास उक्त कृत्य करने हेतु विधिपूर्ण प्राधिकार, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी परमिट/लाईसेंस के अवैध रूप से अपने कब्जा में गैंस सिलेण्डर मय गैंस को रखकर एवं अवैध रूप से गैंस रिफलिंग का कार्य किया हैं जिससे द्रवीकृत पैट्रोलियम गैंस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के नियम 3,4 व 7 का उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी सं. 1 व 2 से जब्त गैंस सिलेण्डर मय गैंस व अन्य गैंस रिफलिंग के सामान सहित राजसात किया जाना उचित है।

14. प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के जब्तशुदा वाहन आरजे 02 सीए 3608 में बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से वाहन में गैंस किट लगवा रखी है जो आरसी के नियमों का उल्लंघ है जिससे अप्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है का कथन किया गया। मौका पर वाहन की जब्ती के समय वाहन में अवैद्य रूप से गैंस रिफलिंग का कार्य चालू हालत में पाया गया जिस कारण वाहन हो वजह सबूत जब्त किया गया है। पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेज थानाधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/8728 दिनांक 08.11.2023 में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे 02 सीए 3608 से संबंधि अनुसंधान पूर्ण होने का अंकन किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क की उपधारा 1(ग) के अनुसार आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी जलयान या अन्य प्रवहण के अधिग्रहण का आदेश किया जा सकता है। परन्तु प्रकरण में अवैद्य रिफलिंग संबंधित कार्य अप्रार्थी सतनाम सिंह के जब्तशुदा वाहन के माध्यम से किया जाना अथवा इस आशय हेतु बिना प्राधिकार के अवैद्य रूप से गैंस के अपने अधिकार जब्तशुदा वाहन में रखना नहीं पाया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कथन किया गया है। ऐसे में अप्रार्थी के जब्तशुदा वाहन के आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अधिग्रहण का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से 2 से क्रमशः जब्तशुदा कुल 19 गैंस सिलेण्डर खाली/भरे हुए मय गैंस तथा रिफलिंग करने में प्रयुक्त सामान 1 पाना चाबी 19–22 नम्बर, 3 पैचकस, 3 नोजल, 1 बांसुरी/निपल, छोटे गैंस सिलेण्डर में गैंस भरने में काम आने वाली 1 निपल, 1 एलटी तथा 1 इलैक्ट्रिक मोटर मय 2 पाईप, व इलैक्ट्रिक वायर तथा 16 गैंस सिलेण्डर खाली/भरे हुए मय गैंस तथा रिफलिंग करने में प्रयुक्त सामान तीन पाना/चाबी 21–23,20–22,18–19 नम्बर, 1 रिचपाना, 1 प्लास, 2 सिलेण्डर नोजल, 1 पावर प्लग स्विच बोर्ड मय तार, 1 इलैक्ट्रिक मोटर, रंग नीला मय इलैक्ट्रिक वायर जिस पर सीके टेस्टेड तथा 2 बैटरी चलित मोटर जिस पर निओ एग्रीकल्चर स्प्रे पम्प लिखा है को राजसात किया जाता हैं।

16. थानाधिकारी पुलिस थाना अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी सं. 1 व 2 से जब्तशुदा उक्त समस्त राजसात की गयी सामग्री गैंस सिलेण्डर मय गैंस आदि का नियमानुसार राज्य पक्ष में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़